रियल एस्टेट परियोजना में क्लब सदस्यता
(सैद्धांतिक मार्गदर्शन)

कतिपय रियल एस्टेट परियोजनाओं में संप्रवर्तक द्वारा क्लब का निर्माण किया जाता है। प्रश्न उठता है कि क्या संप्रवर्तक क्लब की सदस्यता आवंटितियों के लिए अनिवार्य कर सकता है या नहीं ?

इसमें प्राधिकरण यह मार्गदर्शक सिद्धांत तय करता हैः–

यदि संप्रवर्तक क्लब की अधोसंरचना, प्राप्त सदस्यता शुल्क की कॉर्पस ;ब्वतचनेद्ध राशि तथा प्रबंधन का अधिकार उसी कॉलोनी के रहवासी कल्याण समिति (या उसके समकक्ष किसी भी सोसायटी जिस पर आवंटितियों का नियंत्रण है) को परियोजना पूर्ण होने पर सौंपता/सौंपने का इरादा रखता है, तो फिर सदस्यता अनिवार्य की जाने का विकल्प रहेगा।

किन्तु यदि क्लब का प्रबंधन संप्रवर्तक द्वारा स्वयं या उनके द्वारा नियुक्त एजेंट या उनके द्वारा तय निजी आवंटिती को सौंपा जाता है/सौंपने का इरादा रखता है, तो फिर क्लब की सदस्यता परियोजना के आवंटिती के लिए अनिवार्य नहीं की जा सकती है, और न ही क्लब का निर्माण मूल्य आवंटितियों पर भारित किया जा सकता है।

जैसी भी स्थिति हो, एग्रीमेंट में स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख होना चाहिए।